भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 5032

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात और आयात द्वारा प्राप्त राजस्व

5032. श्री एंटो एन्टोनी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत दस वर्षों के दौरान निर्यात और आयात से प्राप्त राजस्व के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्यात और आयात द्वारा प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि राजस्व में भारी गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा विदेशी व्यापार से राजस्व बढ़ाने क लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): वर्ष 2009–10 से 2018–19 तक विगत दस वर्षो के दौरान सीमा "ाुल्क (आयात और निर्यात से प्राप्त निवल संग्रह) से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रु में)

क्र० सं०	वर्ष	सीमा शुल्क (निवल) आयात और निर्यात	प्रतिशत परिवर्तन	आईजीएसटी + आयात से प्राप्त प्रतिपूर्ति उपकर (निवल)	प्रतिशत परिवर्तन
1	2009–10	83,324	---	लागू नही (चूंकि जीएसटी दिनांक 1 जुलाई, 2017 से शुरु किया गया है)	
2	2010–11	1,35,813	63.0		
3	2011–12	1,49,328	10.0		
4	2012–13	1,65,346	10.7		
5	2013–14	1,72,085	4.1		
6	2014–15	1,88,016	9.3		
7	2015–16	2,10,338	11.9		
8	2016–17	2,25,370	7.1		
9	2017–18	1,29,030	-42.7	2,00,650	---
10	2018–19 (अं)	1,17,911	-8.6	3,03,814	51.4

टिप्पणीः सीमा शुल्क (सीवोडी और एसएडी) को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

स्रोतः प्राप्ति बजट, पीआरसीसीए, सीबीआईसी, (अं) = अनंतिम

वर्ष 2009–10 से 2016–17 तक सीमा "ाुल्क से प्राप्त राजस्व मे वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। चूंकि सीमा "ाुल्क (सीवोडी और एसएडी) को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसलिए सीमा शुल्क संग्रह में वर्ष 2017–18 और 2018–19 में गिरावट आयी है जबकि आईजीएसटी + आयात से प्राप्त प्रतिपूर्ति उपकर (निवल) से प्राप्त राजस्व पिछले दो वर्षों में पर्याप्त रुप से बढ़ा है।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5232

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

आईआईएफटी और आईआईपी

5232. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाड़ा निर्यात जोन में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) और भारतीय पैकेजिग संस्थान (आईआईपी) स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना बनाई गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क-ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाड़ा एसईजेड में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) को 25 एकड़ भूमि एवं भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) को 25 एकड़ भूमि अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों (ऑफ-कैम्पस) की स्थापना करने के लिए आवंटित की थी। आईआईएफटी एवं आईआईपी द्वारा 19 जुलाई, 2017 को भूमि का परिग्रहण कर लिया गया था। आईआईएफटी केंद्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मैसर्स राष्ट्रीय भवन निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) द्वारा तैयार की जा रही है। परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) की सेवाएं लेने और पीएमसी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य अभी आईआईपी द्वारा पूरा किया जाना है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5228

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार अधिशेष

5228. श्री पी.पी. चौधरीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आयात, निर्यात और व्यापार–अधिशेष के क्या आंकड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का व्यापार–अधिशेष बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या रूप–रेखा तैयार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या मंशा है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)
****

(क) से (घ) : गत पांच वर्षों के दौरान भारत का समग्र (व्यापारिक वस्तुएं एवं सेवाएं) निर्यात, आयात और व्यापार घाटा निम्नानुसार हैः–

(मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार–घाटा
2014–15	468.46	529.61	(–) 61.15
2015–16	416.60	465.64	(–) 49.04
2016–17	440.05	480.26	(–) 40.20
2017–18	498.63	583.08	(–) 84.85
2018–19*	538.07	640.13	(–) 102.06

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस एवं आरबीआई (*अनंतिम)

भारत के व्यापार अधिशेष को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैंः–

i. नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। विदेश व्यापार नीति 2015–20 'मेक इन इण्डिया', 'डिजीटल इण्डिया', 'स्किल इण्डिया', 'स्टार्ट–अप इण्डिया' और 'व्यापार करने की सुगमता' पहलों के अनुरुप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन और मूल्य संवर्धन को बढावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। इस नीति में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत

से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाए गए।

ii. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लॉजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

iii. व्यापार करने की सुगमता" को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। विश्व बैंक के "व्यापार करने की सुगमता" रैंकिंग में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 77 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।

iv. दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

v. देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

vi. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत की हानि को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामत "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।

vii. नीति विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से घटाकर सामान्य निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत करते हुए ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढावा देने के उपायों को शामिल करती है।

viii. नीति के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय–सीमा में निर्यात उत्पाद में वास्तविक रुप से शामिल की जाने वाली निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है।

ix. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा 5 दिसम्बर, 2017 को की गई। प्रति वर्ष 8450 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

x. नए/संभावित निर्यातकों के बीच आउटरीच/व्यापार संबंधी जागरुकता हेतु निर्यात बंधु स्कीम लांच की गई है।

xi. पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण सम्बन्धी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससे श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 02.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 02.01.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

xii. वस्त्र और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम नामतः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी से छूट प्रदान करने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 7.3.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च दरों पर शुल्कों/करों का रिफंड दिया जा रहा है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5224

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

सीएसआर योजना

5224. डॉ॰ ए॰ चैल्ला कुमारः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एजेंसियॉ, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना (सीएसआर) के अंतर्गत परियोजनाएं चालू करने के लिए निधि का आबंटन कर रही हैं और उसका उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित कुल निधि और चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कंपनी–वार और राज्य–वार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को निधि के मनमाने उपयोग और ठेका देने में तथा इन परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित कुल सीएसआर निधि एवं शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ग) एवं (घ) सीपीएसई द्वारा सीएसआर के व्यय से संबंधित दिशानिदेशों का अनुपालन न करने का कोई भी मामला पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज नहीं किया गया है।

अनुबंध ।

एमएमटीसी (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	81.41	उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली	पूर्ण	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, पेय जल , स्वच्छता , स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, कौशल विकास, खेलों को संवर्धन, समाज कल्याण।
2017-18	125.9	ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं ओडिशा	पूर्ण	खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, पेय जल, कौशल विकास, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, समाज कल्याण।
वर्ष 2017-18 के लिए सरकारी विद्यालय की 500 किशोरी छात्राओं के लिए पुन: प्रयोज्य सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना तथा दिल्ली में इसके उपयोग के साथ माहवारी स्वच्छता प्रचलनों में परिवर्तन का आकलन प्रगति पर है।				
2018-19	125.4	ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं दिल्ली।		खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, पेय जल, कौशल विकास, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण।
वर्ष 2018-19. के लिए ओडिशा के आकांक्षापूर्ण जिलों के रेगेडा, उत्केला एवं रिसिदा सार्वजिनक स्थास्थ्य केंद्रों में लेबर रूम का निर्माण, आंध्रप्रदेश में किसानों को हाथ में पकड़े जाने वाले कपास प्लकर मशीनों का वितरण एवं झारखंड में कौशल विकास कार्यक्रम प्रगति पर है।				

एसटीसी (रुपए लाख में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	7.36	दिल्ली/एनसीआर	पूर्ण	महत्वपूर्ण धरोहर का संरक्षण, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत।
2017-18	13.71	सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, दिल्ली/एनसीआर	पूर्ण	कौशल विकास, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत।

2018-19	**आपदा संभावित/ प्रभावित समुदाय के लिए 0.7 लाख आवंटित किया गया है तथापि राशि का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यकता नहीं हुई। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष के अंशदान को सीएसआर व्यय नहीं माना जाता। इसलिए प्रत्यक्ष कार्यान्वयन या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आपदा तैयारी या राहत कार्य को सीएसआर व्यय माना जाएगा।**
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद औसत शुद्ध घाटा दर्ज किया था इसलिए नई सीएसआर गतिविधियों के लिए सीएसआर निधि आवंटित करना अधिदेशित नहीं था। तथापि 2014-15 के बाद भी पिछले वर्ष के कैरी फारवर्ड के आधार पर तत्कालीन चालू परियोजनाओं को जारी रखा गया।	

पीईसी (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	24.41	दिल्ली, राजस्थान एवं हरियाणा।	पूर्ण	कौशल विकास, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, शिक्षा का संवर्धन।
घाटों को देखते हुए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर की दिशा में कोई निधि आवंटित नहीं की गई। तथापि, पिछले वित्त वर्ष की अग्रनयन निधियों का उपयोग किया गया इसके अतिरिक्त , घाटों को देखते हुए वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सीएसआर की दिशा में कोई निधि आवंटित नहीं की गई।				

आईटीपीओ(लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	292.00	कर्नाटक, दिल्ली, ओडिशा, समस्त भारत	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छ गंगा निधि को योगदान, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन।
		वर्ष 2016-17 के लिए कर्नाटक में खादी ग्रामोद्योग आयोग को चर्खों एवं दिल्ली में प्रयास जूवेनाइल एड सेंटर सोसायटी को एम्बुलेंस का वितरण प्रगति पर है।		
2017-18	332.00	तमिलनाडु राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड,	पूर्ण	कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन,

		दिल्ली महाराष्ट्र, ओडिशा, समस्त भारत		लैंगिक समानता, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि को योगदान।
वर्ष 2017-18 के लिए उत्तराखंड में फ्रैण्ड्स ऑफ हिमालया द्वारा एकल महिलाओं को जराचिकित्सा देखभाल में प्रशिक्षण झारखंड में निर्धन ग्रामीण महिलाओं,राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के वन्चित वर्गों के लिए समूह आधारित आय सृजन, उत्तराखंड में सरकारी स्कूल के छात्रों को सहायता, ओडिसा में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, दिल्ली में वंचित वर्ग के लिए कौशल विकास, दिल्ली में स्कूली छात्रों को दूध का वितरण प्रगति पर है।				
2018-19	437.00	समस्त भारत, बिहार, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा।	पूर्ण	कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, लैंगिक समानता, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, शिक्षा।
दिल्ली में नेत्रहीनों के लिए अंध विद्यालय, संस्थान, ओडिशा में जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा, आंध्रप्रदेश में जनजातीयों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं शिक्षा, दिल्ली में सोसाइटी फॉर पारटीसिपेटरी इंट्रीग्रेटेड डेवलेपमेंट (एसपीआईडी) द्वारा परित्यक्त महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिए सहायता, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया (जीएसआई) , द्वारा वृक्षारोपण एवं हरियाणा में अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन(टीईएसएफ) द्वारा जरुरतमंद बुजुर्गों के लिए परियोजना प्रगति पर है।				

केटीपीओ (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	2.50	कर्नाटक	पूर्ण	कौशल प्रशिक्षण
2017-18	2.41	कर्नाटक	पूर्ण	शिक्षा संवर्धन
2018-19	30.00	कर्नाटक	प्रगति पर	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत

टीएनटीपीओ (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	48.06	समस्त भारत	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान
2017-18	50.77	समस्त भारत	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान
2018-19	56.37	समस्त भारत, तमिलनाडू	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान

ईसीजीसी (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	542.46	महाराष्ट्र समस्त भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक , असम एवं अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल।	पूर्ण	पेयजल, शिक्षा संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास
2016-17 के लिए महाराष्ट्र में वंचित छात्रों, सामुदायिक शिक्षा केंद्रों को छात्रवृत्ति, कर्नाटक में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास का संवर्धन प्रगति पर है।				
2017-18	1108.00	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, असम, एवं अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, समस्त भारत	पूर्ण	पेयजल, शिक्षा संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास, सशस्त्र बल ध्वज दिवस को योगदान।
2017-18 के लिए महाराष्ट्र में वंचित छात्रों, सामुदायिक शिक्षा केंद्रों को छात्रवृत्ति, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराना, कौशल विकास, पर्यावरण, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, शिक्षा, ओडिशा में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, शिक्षा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन प्रगति पर है।				
2018-19	685.47	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पूर्वोतर उत्तर प्रदेश, गुजरात, समस्त भारत, सिलवासा, दादर व नागर हवेली, केरल	पूर्ण	पेयजल, शिक्षा देखभाल संवर्धन,खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास, सशस्त्र बल ध्वज दिवस को योगदान।
वर्ष 2018-19 के लिए महाराष्ट्र में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, स्वच्छता का संवर्धन, मध्यप्रदेश में शिक्षा का संवर्धन, दिल्ली में शिक्षा का संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन , उत्तर प्रदेश में किसानों के कौशल विकास का संवर्धन, राजस्थान में कौशल विकास प्रगति पर है।				

नोट: सीपीएसई की संधारणीयता और सीएसआर संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई अपनी सीएसआर गतिविधियों के अनुसरण में, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत का अंशदान देते हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) में निर्दिष्ट है। इस कारण, पीईसी लिमिटेड एवं एसटीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए सीएसआर के अधीन कोई निधि आवंटित नहीं की क्योंकि उनका औसत निवल लाभ नकारात्मक था। इसी प्रकार, एसटीसीएल लिमिटेड को वर्ष 2009-10 से घाटा हो रहा है और वर्तमान में इसे बंद करने की प्रक्रिया में है, इसलिए सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5196

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अवसंरचना परियोजनाओं जैसे एसईजैड को प्रोत्साहन

5196. **डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः**
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्वीकृत और कार्य कर रहे विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) की संख्या कितनी है

(ख) क्या सरकार एसईजैड की तर्ज पर अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(घ) क्या सरकार अवसंरचना परियोजनाओं को विभिन्न लाभ जैसे ब्याज राजसहायता, पूंजी निवेश के भाग की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी छूट और बिजली पर कर में छूट देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) एसईजेड अधिनियम, 2005 का अधिनियमन होने से पूर्व, केंद्रीय सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एसईजेड थे। इसके अतिरिक्त, देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए प्राप्त 416 प्रस्तावों को एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्तमान में, 351 एसईजेड अधिसूचित हैं जिनमें से 232 एसईजेड प्रचालनात्मक हैं।

(ख) से (च) आर्थिक कार्य विभाग उन अवसंरचना सेक्टरों (एसईजेड सहित) को संबंधित वित्त सीमा सहित आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जो दिनांक 27 मार्च, 2012 को अधिसूचित सुमेलीकृत मुख्य सूची में सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना के रूप में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 एडी के वर्तमान प्रावधानों के तहत किसी व्यवसाय का विकास या प्रचालन करने और रखरखाव करने या किसी निर्दिष्ट अवसंरचना सुविधा का विकास, प्रचालन और रखरखाव करने के लिए निवेश से जुड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। एसईजेड को अनुमत कर छूट और अन्य प्रोत्साहन एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 5159**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्पाइस पार्क

5159. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरम:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में स्थापित वर्तमान स्पाइस पार्क का स्थान–वार ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी प्रयोजन क्या है;

(ख) क्या इन स्पाइस पार्कों से प्रसंस्करण हेतु स्थानीय किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को सुविधाएं प्रदान की गई हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पार्कों से कौन–से रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं ।

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) मसाला बोर्ड ने तमिलनाडु सरकार द्वारा आबंटित 29.43 हेक्टेयर (72.69 एकड़) भूक्षेत्र में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कोट्टाकुड़ी गॉव में एक मसाला पार्क स्थापित किया है। इस मसाला पार्क का उद्देश्य मसालों मुख्य रूप से मिर्च और हल्दी की सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, भंडारण, पैकिंग आदि के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना है, ताकि मसालों की गुणवत्ता और तदद्वारा किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित की जा सके। यह मसाला पार्क प्रोसेसर और निर्यातकों के साथ सीधा संबंध स्थापित करके आपूर्ति श्रृंखला को छोटा करने में उपजकर्ताओं की मदद करेगा। इससे तमिलनाडु राज्य से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। बुनियादी ढ़ांचे में निम्नलिखित शामिल है:

- मिर्च के लिए एक पूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया की सुविधा जिसमें सफाई के लिए 1 टन/ घंटा और पीसने के लिए 0.5 टन प्रति घंटे की क्षमता है।
- हल्दी के लिए एक पूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया की सुविधा जिसमें सफाई के लिए 1 टन/घंटा और पीसने के लिए 0.5 टन प्रति घंटे की क्षमता है।
- 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमता के साथ बैच प्रक्रिया में स्टीम विसंक्रमण इकाई।
- मिर्च के लिए 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम।
- हल्दी के लिए 700 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम तथा
- धर्मकाँटा (80 टन)

बोर्ड ने अपनी स्वयं की प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयों को स्थापित करने के लिए 30 वर्ष के पट्टे पर 21 निर्यातकों को 25.57 एकड़ के 26 भूखंड आबंटित किए हैं। पार्क के निर्यातक समीप क्षेत्रों के किसानों से सीधे मसाले मंगवाएंगे। तमिलनाडु सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय की मंजूरी मिलने में देरी के कारण मसाला पार्क का संचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब बोर्ड को पार्क लेआउट के लिए खंड विकास अधिकारी, शिवगंगा से 19/07/2019 को मंजूरी प्राप्त हुई है।

मसाला बोर्ड द्वारा स्थापित सभी मसाला पार्कों को केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य पार्कों के रूप में नामित किया है ताकि इन स्पाइस पार्कों में मसाला प्रसंस्करण यूनिटे सृजित करने/उनका विस्तार करने के लिए उद्यमियों/ निर्यातकों को नाबार्ड से किफायती ऋण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हो सके। निर्यातक, जिन्हें भूखंड आबंटित किए गए हैं, स्थानीय पंजीकरण विभाग में मसाला बोर्ड के साथ निष्पादित पट्टा विलेख के पंजीकरण के बाद उन्हें आबंटित किए गए भूखंडों पर प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शुरू कर देंगे और आबंटित भूखंडों में प्रस्तावित भवनों/ प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। एक बार पार्क पूरी तरह से चालू हो जाने पर, यह अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष रूप से 115000 से 118000 मानव दिवस और अप्रत्यक्ष रूप से 50000 मानव दिवस के रोजगार उत्पन्न होंगे।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5141

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

मक्का उत्पादन

5141. डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मक्का उत्पादन में भारी कमी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि मक्के के आयात में अत्यधिक देरी हो रही है, जिससे कुक्कुट पालन उद्योग को भारी समस्या हो रही है;

(ग) यदि हां, तो कुक्कुट पालन उद्योग को 20 लाख मीट्रिक टन मक्के की आवश्यकता के बावजूद, सरकार द्वारा केवल 1 लाख मीट्रिक टन मक्के के आयात की ही अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुक्कुट पालन उद्योग हेतु गेहूं और टूटे चावल के आवंटन के लिए मंत्रालय को पॉल्ट्री एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान देश में मक्का उत्पादन का परिदृश्य निम्नानुसार है:-

(मात्रा मिलियन टन में)

मौसम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
खरीफ	16.05	18.92	20.12	20.63
रबी	6.51	6.98	8.63	7.19
कुल	22.57	25.90	28.75	27.82

*तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार और अंतिम अनुमान अभी भी प्रतीक्षित हैं।

उपरोक्त तालिका के अनुसार, देश में मक्का की कोई बड़ी कमी नहीं हुई है।

(ख) एवं (ग) राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) द्वारा 'शून्य' सीमा शुल्क के तहत 5 लाख मीट्रिक टन तक, टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) स्कीम के अंतर्गत, बीज गुणवत्ता के अलावा, मक्का (कार्न) का आयात वार्षिक रूप से स्वीकार्य है। परंतु, माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कारण इस टीआरक्यू स्कीम को प्रचलनात्मक नहीं बनाया जा सका। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के परामर्श से, केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए, दो एसटीई, अर्थात नैफेड और एमएमटीसी द्वारा, टीआरक्यू स्कीम के तहत 1 लाख एमटी फीड ग्रेड मक्का (कार्न) 15 प्रतिशत सीमा शुल्क की दर पर आयात करने की अनुमति दी है। व्यापारिक प्रयोजन के लिए आयात की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा, केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए 15 प्रतिशत सीमा शुल्क की दर पर आयात के लिए 4 लाख मीट्रिक टन फीड ग्रेड मक्का (कार्न) डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही, टीआरक्यू स्कीम के तहत कुल 5 लाख मीट्रिक टन मक्का (कार्न) 2019-20 में समाप्त हो गया है।

(घ) एवं (ङ) पोल्ट्री उद्योग के लिए गेहूँ और टूटे हुए चावल के आबंटन के लिए पोल्ट्री एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम से तमिलनाडु में पोल्ट्री किसानों को चारा में कार्न के लिए विकल्प के रूप में सब्सिडीकृत गेहूँ प्रदान करने के अनुरोध का संदर्भ एक माननीय संसद सदस्य से इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है।

****

बाबा कल्याणी समिति

5137. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीरः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा बाबा कल्याणी समिति की रिपोर्ट की जांच की गई है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य विभाग के दिनांक 04.06.2018 के आदेश के तहत भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति का अध्ययन करने के लिए श्री बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक समूह गठित किया गया था । इस समूह ने 19.11.2018 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । समूह की सिफारिशों पर दिनांक 26.12.2018 को एक अंतर - मंत्रालयी परामर्श आयोजित किया गया था । समूह की रिपोर्ट को दिनांक 30.01.2019 तक हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए बेवसाइट अर्थात sezindia.nic.in पर पोस्ट किया गया । हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा समूह की सिफारिशों को समेकित कर लिया गया और आगे की विवेचना के लिए इसे राजस्व विभाग के साथ साझा किया गया है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5121

<u>दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

वाणिज्यिक फसलें

5121. प्रो॰ सौगत रायः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वाणिज्यिक फसलों के निर्यात को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;
(ख) देश से विभिन्न अन्य देशों को निर्यात की गई वाणिज्यिक फसलों का मद–वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी अन्य देश ने विभिन्न कारणों से देश से किसी वाणिज्यिक उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है/निर्यात को आरक्षित किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रतिबंध हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) वाणिज्यिक फसलों का निर्यात एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्यिक फसलों सहित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कृषि निर्यात नीति शुरू की है। माल भाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटक, कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए माल ढुलाई के नुकसान को कम करने और कृषि उत्पाद का विपणन करने के लिए सहायता देने हेतु सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम - 'निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता ' भी लाई है । इस स्कीम के अंतर्गत कई वाणिज्यिक फसलों का निर्यात सहायता के लिए पात्र है ।

वाणिज्यिक फसलो के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग की निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि जैसी कई प्रकार की अन्य स्कीमें भी हैं । इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक फसलों के निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात सवंर्धन स्कीमें के तहत भी सहायता उपलब्ध है ।

(ख) विभिन्न अन्य देशों को देश से निर्यातित वाणिज्यिक फसल का वस्तु - वार विवरण अनुबंध- I पर दिया गया है।

(ग) एवं (घ) किसी भी विदेशी राष्ट्र ने भारत से किसी वाणिज्यिक फसल के आयात को प्रतिबंधित नहीं किया है। तथापि, मेक्सिको ने भारत से निर्यातित मिर्च की एक खेप में, टैरोगोडर्मा लार्वा,एक संगरोध कीट के पता लगने के कारण 23.05.2017 से भारत से मिर्च के आयात को रोक दिया है। मसाला बोर्ड सभी देशों को मिर्च के निर्यात से पहले अनिवार्य परीक्षण कर रहा है।

****

अनुबंध -I

भारत से वाणिज्यिक फसलों का निर्यात

मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

फसल का नाम	यूनिट	2016-17		2017-18		2018-19*		2019-20 (अप्रैल –मई)*	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल –बासमती	टन	3,985.21	3,208.60	4,056.85	4,169.56	4,414.61	4,712.44	864.03	932.20
मसाले	किग्रा	10,14,453.31	2,851.95	10,96,322.85	3,115.37	10,91,789.68	3,322.56	2,09,119.92	586.77
अवशिष्ट सहित कच्चा कपास	टन	996.09	1,621.11	1,101.47	1,894.25	1,143.07	2,104.41	66.99	118.70
चाय	किग्रा	2,43,429.62	731.26	2,72,894.98	837.36	2,70,300.12	830.90	39,617.55	132.90
कॉफ़ी	किग्रा	2,88,613.37	842.84	3,17,828.97	968.57	2,82,889.02	822.34	56,749.99	149.54
ताजा सब्जियाँ	टन	3,404.07	863.12	2,448.02	821.76	2,933.37	810.44	449.73	119.96
ताजी फल	टन	817.06	743.23	714.00	761.79	754.75	794.04	155.35	154.15
काजू	टन	91.79	786.93	90.06	922.41	78.22	654.43	10.73	84.50
अ - विनिर्मित तंबाकू	किग्रा	2,04,447.42	634.38	1,85,363.88	593.88	1,89,538.70	570.28	32,419.79	102.26
तिल के बीज	किग्रा	3,07,328.55	402.17	3,36,850.37	463.90	3,11,987.34	538.94	41,637.11	84.06
मूंगफली	टन	725.71	809.60	504.04	524.82	489.19	472.74	85.97	92.05
अन्य तेल बीज	टन	193.27	126.00	295.10	174.79	213.83	131.57	18.88	13.27
पुष्प कृषि उत्पाद	किग्रा	22,020.33	81.55	20,703.51	78.73	19,726.56	81.78	2,983.68	13.45
कच्चा जूट	टन	18.18	11.44	27.20	14.81	24.01	15.30	1.92	1.22
निगर बीज	किग्रा	14,070.46	17.46	9,215.04	10.84	13,370.58	13.64	2,001.16	2.33
प्राकृतिक रबड़	टन	24.46	37.65	7.70	13.89	6.66	11.02	1.13	1.90
कुल योग		-	**10,560.68**	-	**11,197.17**	-	**11,174.38**	-	**1,657.05**

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस

**** अनंतिम***

पशुधन निर्यात

5105. श्रीमती रीती पाठकः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों विशेषकर खाड़ी देशों को जीवित बकरियों और भैंसों के निर्यात पर रोक लगा दी है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : जी नहीं । आइटीसी (एचएस) आधारित निर्यात नीति, 2018 के अध्याय - । की अनुसूची - 2 के अनुसार, जीवित भैंसे '' प्रतिबन्धित '' श्रेणी में आती हैं जहां विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही निर्यात की अनुमति होती है । उपरोक्त नीति के तहत जीवित बकरियों के लिए निर्यात नीति शर्त '' निर्बाध '' है ।

****

चाय बागानों को बंद करना

5097. श्री राजू बिष्टः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार चाय बागानों के मालिकों द्वारा कामगारों अथवा सरकार को बिना कोई सूचना दिए अपने बागानों में काम बंद करने की बार–बार होने वाली घटनाओं से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या अब तक किसी भी चाय–बागान मालिक को अपने बागानों में काम बंद करने और हजारों कामगारों तथा उनके परिवार के जीवन को खतरे में डालने के लिए जवाबदेह ठहराया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह सच है कि धूमसीपारा के चाय बागान बंद हो गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार/चाय बोर्ड द्वारा उक्त चाय बागान के बंद होने के कारण अपनी आजीविका खोने वाले चाय बागानों के कामगारों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : चाय बागान मालिकों द्वारा चाय बागानों को बंद करने की घटनाएं हुई है । चाय बागानों को बंद करने/तालाबंदी करने के प्रमुख कारणों में संपदाओं की कम उपज, झाड़ियों का पुराना होना, विकास परिप्रेक्ष्य का अभाव, अकुशल बागान प्रबंधन प्रथाएं, अत्यधिक ऋण उन्मुख वित्त पोषण कार्यनीति, मालिकाना विवाद आदि को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है । कार्य का स्थगन, चाय बागान सहित किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की तालाबंदी अथवा बंद करना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 के तहत कवर होता है और विवादों का निपटान, यदि कोई हो, समझौता, मध्यस्थता तथा अधिनिर्णय की कार्यवाही के जरिये किया जाता है ।

(ग) एवं (घ) : मैसर्स डंकन्स इण्डस्ट्रीज लि. के स्वामित्व वाली, धूमसीपारा चाय बागान के बागान प्रबंधन द्वारा कामगारों को मजदूरी और वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हुए श्रमिकों की अशांति की वजह से 21 जून , 2019 को बागान बन्द कर दिया गया । चाय बोर्ड के अधिकारियों ने 25 जून, 2019 को सहायक श्रम आयुक्त, बीरपाड़ा के साथ इस मामले पर विचार - विमर्श किया जो इस मामले में उपयुक्त प्राधिकारी हैं । 1 जुलाई, 2019 को दो पखवाड़ो के लिए बकाया मजदूरी का भुगतान करके 2 जुलाई, 2019 को बागान को पुनः खोल दिया गया ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5091

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

फलों का निर्यात

5091. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व में फलों अर्थात सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी और चेरी के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में विश्वस्तर पर फलों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए फलों की फल–वार कुल मात्रा और मूल्य कितना है; और

(ग) क्या सरकार देश से फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी हां। विश्व में फलों जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, बुखारा, खुबानी और चेरी के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। ये फल समशीतोष्ण जलवायु में उगते हैं और भारत में केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उग सकते है। इसलिए इन फलों के निर्यात योग्य अधिशेष की उपलब्धता के साथ-साथ निर्यात के लिए उपयुक्त सही गुणवत्ता, रंग, आकार, स्वाद और सुगंध वाले फलों की उपलब्धता भी कम है। विश्व में फलों के निर्यात में भारत के हिस्से का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

विश्व निर्यात की तुलना में भारत का निर्यात (वर्ष: 2018)

मात्रा मी.टन में, मूल्य मिलियन अम.डॉ में

उत्पाद	विश्व		भारत		% में भारत का हिस्सा (मूल्य)
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
कुल (ताजा फल - एचएस कोड 0803 से 0810)	-	**99,409.73**	-	**692.15**	**0.6963**
सेब	81,60,765.00	8,230.03	12,894.00	5.61	0.0682
चेरी (खट्टी चेरी और अन्य चेरी)	7,98,963.00	3,569.86	14.00	0.04	0.0010
नाशपाती	26,37,662.00	2,831.97	2.00	0.01	0.0002
आड़ू,शफतालू ताजा सहित	19,67,948.00	2,521.12	-	-	0.0000
आलु बुखारा एवं प्लम ताजा	7,33,294.00	996.69	86.00	0.03	0.0027
खुबानी, ताजी	3,81,162.00	482.06	9.00	0.04	0.0081

स्रोत: आईटीसी व्यापार मानचित्र

(ख): पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात किए गए फलों की कुल मात्रा एवं मूल्य का फल- वार ब्यौरा अनुबंध- I में दिया गया हैं।

(ग): फलों का निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। कृषि निर्यातों के समग्र संवर्धन के लिए सरकार ने एक व्यापक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत संगठन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को फलों के निर्यात संवर्धन का अधिदेश है। एपीडा अपनी स्कीम "एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम" के विभिन्न घटकों अर्थात अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत फलों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस)के तहत विभिन्न फलों के निर्यात हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध है। वाणिज्य विभाग की विभिन्न अन्य स्कीमों अर्थात निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम, बाजार पहुंच पहल (एमएई) स्कीम इत्यादि के तहत निर्यातकों /राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

****

अनुबंध- I

भारत से ताजा फलों का निर्यात

मात्रा मी.टन में ; मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

विवरण	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल-मई)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अंगूर ताजा	198,471.30	267.04	205,039.41	303.71	246,133.77	334.77	32862.96	44.08
अनार ताजा	49852.04	73.31	52391.82	85.97	67891.80	98.76	5500.73	7.55
आम ताजा	52761.00	66.46	49671.32	59.45	46510.22	60.24	8954.21	14.02
केला ताजा	110,750.57	57.83	102,521.88	54.39	134,503.40	59.24	24753.44	10.12
संतरा ताजा या सूखा	48111.64	17.48	37049.09	14.64	43098.28	34.62	915.50	0.24
अन्य फल, ताजा	38113.32	16.46	24611.80	10.95	15203.39	12.99	1512.02	1.04
सेब ताजा	22550.02	9.40	14780.68	7.18	16744.61	10.80	7.13	0.00
तरबूज	26346.36	8.89	26219.30	8.86	33366.47	9.90	2523.94	0.67
नींबू और लाईम	14116.89	8.59	17480.31	8.50	21121.33	6.41	1093.21	0.69
पपीता ताजा	12442.76	7.63	10030.39	6.44	9785.61	5.26	1029.21	0.44
अन्य	-	42.82	-	41.47	-	23.80	-	2.30
कुल		**575.92**		**601.56**		**656.79**		**81.15**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5066

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

इलायची का निर्यात

5066. डॉ॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धरः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सऊदी अरेबिया और जापान सरकार ने भारत से इलायची के आयात को प्रतिबंधित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इन देशों द्वारा भारत से इलायची आयात पर प्रतिबंध लगाने के कारण और परिस्थितियां क्या थीं; और
(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं । सऊदी अरेबिया और जापान सरकार ने भारत से इलायची के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, सऊदी अरेबिया फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (एसएफडीए) ने अप्रैल-मई 2018 में एसएफडीए द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एमआरएल) से अधिक कीटनाशक अवशिष्ट पाए जाने के कारण भारत से इलायची (छोटी) की चार आयात खेपें रोक ली थी । इसके पश्चात, निर्यातकों ने कीटनाशक अवशिष्ट के कारण रोके जाने के भय से सऊदी अरेबिया को इलायची का निर्यात स्वेच्छा से बंद कर दिया था।

(घ): सरकार, मसाला बोर्ड के माध्यम से इलायची उपजकर्ताओं के बीच इलायची में समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में इलायची उपजकर्ता क्षेत्रों में अभियानों की एक श्रृंखला संचालित कर रही है और इलायची में कीटों एवं रोगों के प्रबंधन के लिए जैव-नियंत्रण कारकों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है।

दिनांक 9/10/2018 के वर्बल नोट के जरिए सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्रालय ने भारतीय पक्ष से उन प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन ब्यौरा जहां सऊदी अरेबिया को निर्यात से पहले इलायची में कीटनाश अवशिष्ट का परीक्षण किया जाता है, और सऊदी अरेबिया को इलायची का निर्यात करने वाले प्रमुख निर्यातकों और प्रतिष्ठानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जिसे मसाला बोर्ड ने 9 अगस्त 2018 को रियाद में भारतीय उच्चायोग के जरिए उपलब्ध करा दिया । इलायची की प्रत्येक निर्यात खेप के साथ इलायची में कीटनाशक अवशिष्टों के लिए मसाला बोर्ड द्वारा जारी एसएफडीए द्वारा विनिर्दिष्ट एमआरएल अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए प्रयोगशाला विश्लेषण प्रमाणपत्र संलग्न करने का भी अनुरोध किया गया था। एसएफडीए की अपेक्षा को पूरा करने के लिए छोटी इलायची के संबंध में एसएफडीए द्वारा जांचें गए 41 कीटनाशकों में से कोच्ची स्थित मसाला बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला ने जांच के लिए 27 कीटनाशकों को मानकीकृत किया है और बाकी कीटनाशकों को मानकीकृत किया जा रहा है ।

सऊदी अरेबिया फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (एसएफडीए) के एक शिष्टमंडल ने दिसंबर,2018 में कोच्ची स्थित मसाला बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला निर्यात प्रसंस्करण यूनिटों और इलायची के बागानों का दौरा भी किया और मसाला बोर्ड के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। इस शिष्टमंडल ने बोर्ड से भारतीय कृषकों द्वारा इलायची में उपयोग किए गए कीटनाशकों का ब्यौरा भेजने का अनुरोध किया ताकि सऊदी अरेबिया को निर्यात से पहले इलायची में इन्हीं कीटनाशकों की जांच की जा सके। भारतीय उच्चायोग द्वारा 19 फरवरी, 2019 को एसएफडीए को यह ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया। सऊदी अरेबिया को इलायची का निर्यात जारी रखने के लिए इलायची में कीटनाशक अवशिष्टों के मुद्दे से निपटने के लिए मसाला बोर्ड को तत्काल कार्ययोजना तैयार करने का परामर्श दिया गया है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5058

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

सफेद पोस्त दाने का आयात/निर्यात

5058. श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सफेद पोस्त दाने का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में आयातित और देश से निर्यातित सफेद पोस्त दाने की मात्रा और मूल्य राष्ट्र–वार क्या है; और

(ग) देश के पोस्त दाना उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)
****

(क) और (ख) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पोस्त दाने (एचएस कोड : 12079100) के भारत के आयात और निर्यात की देशवार मात्रा, मूल्य क्रमशः अनुलग्नक–I और अनुलग्नक–II में दिया गया है।

(ग): निर्दिष्ट इलाकों में अफीम की वैध खेती के लिए प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को लाइसेन्स जारी किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष लाइसेन्सिंग की सामान्य शर्तें अधिसूचित की जाती हैं।

पोस्त दाने का आयात मूलतः घरेलू मांग पूरी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, पोस्त दाने का आयात देश के प्रतिबंध के अध्ययधीन है और इसे केवल 16 देशों जिन्हें पोस्त दाने के वैध उत्पादकों के रूप में मान्यता मिली हुई है, से आयात किया जा सकता है। आयातक को निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी से एक उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पोस्त दाने का उस देश में वैध रूप से उत्पादन किया गया है। आयातकों के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयात से पूर्व केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर के साथ अपनी संविदाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ देश से आयात की सीमा निर्धारित कराना, प्रति निर्यातक मात्रात्मक प्रतिबंध, यदि कोई हो, लगाना शामिल हैं।

अनुलग्नक–I

पोस्त दाने के आयात का आंकड़ा

देश	2016–17		2017–18		2018–19	
	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
चीन पी आरपी	2227.00	4.99	3619.00	7.93	3223.00	6.76
चेक गणराज्य			1339.10	4.00		
स्पेन			0.01	0.00002		
तुर्की	15840.00	39.09	3636.00	9.86	14958.00	39.58
कुल	**18067.00**	**44.07**	**8594.10**	**21.79**	**18181.00**	**46.34**
टिप्पणी 1: वर्ष 2019–20 (अप्रैल, 2019) के लिए आयात का आंकड़ा 'शून्य' के रूप में सूचित किया गया है						

अनुलग्नक–II

पोस्त दाने के निर्यात का आंकड़ा

देश	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20 (30 अप्रैल, 2019)	
	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
संयुक्त राज्य अमेरिका	52.26	0.6397	62.15	0.5881	41.32	0.4537	2.00	0.0215
कनाडा	4.92	0.0402	9.75	0.0677	16.83	0.1099	1.01	0.0096
यूनाइटेड किंगडम	3.98	0.0219	2.02	0.0142	6.66	0.0530	1.00	0.0047
आस्ट्रेलिया	0.36	0.0041	6.81	0.0150	1.87	0.0156		
नेपाल	0.10	0.0008	1.36	0.0092	1.85	0.0078	0.10	0.0007
दक्षिण अफ्रीका	0.74	0.0071	0.52	0.0051	0.57	0.0050		
हांग कांग	0.07	0.0006	0.13	0.0012	0.79	0.0045		
न्यूजीलैंड	0.53	0.0053	0.39	0.0036	1.82	0.0045	0.37	0.0032
श्रीलंका डीएसआर					0.55	0.0042		
यमन गणराज्य					0.75	0.0042		
म्यांमार					0.40	0.0033		
सेशेल्स			0.33	0.0030	0.25	0.0029		
केन्या	0.28	0.0023	0.82	0.0051	1.33	0.0026	0.04	0.0005
स्वीट्जरलैंड	0.34	0.0036	0.11	0.0007	0.19	0.0019		
मलेशिया	0.01	0.0001	0.12	0.0015	0.28	0.0018	0.05	0.0005
तंजानिया गणराज्य	0.10	0.0009			0.09	0.0016		
अंगोला			0.08	0.0011	0.10	0.0013		
कांगो लोकतांत्रिक. गणराज्य					0.15	0.0010		
फिजी आईएस	0.08	0.0002			0.10	0.0007		
मालदीव	0.51	0.0014	0.05	0.0005	0.15	0.0006	0.03	0.0003
नाइजीरिया	0.05	0.0003			0.03	0.0005	0.11	0.0002
चिली					0.05	0.0004		
यूगांडा	0.05	0.0005			0.05	0.0004		
जापान	0.28	0.0034			0.04	0.0003		
कैमरून			0.00	0.0000	0.04	0.0003		
बोत्सवाना					0.06	0.0003		
जाम्बिया					0.18	0.0003		
रियूनियन	0.05	0.0005	0.02	0.0002	0.02	0.0002		
मलावी			0.02	0.0002	0.02	0.0002		
स्वीडन					0.01	0.0001		
सिंगापुर					0.01	0.0001		
चेक गणराज्य					0.00	0.0001		
टोगो					0.01	0.0001		
किर्गिजस्तान			0.05	0.0004	0.01	0.0000		
घाना					0.00	0.0000		
भूटान					0.00	0.0000		
पपुआ एन गिनी					0.00	0.0000		
बहरीन आईएस	0.04	0.0003						
बेनीन			0.01	0.0001				
कैमेन आईएस			0.03	0.0003				
चीन पी आरपी							0.05	0.0005
फ्रांस							0.13	0.0015
गैबोन			0.01	0.0001				
गाम्बिया			0.01	0.0000				
लाइबेरिया			0.00	0.0000				
मोजाम्बिक			0.02	0.0002				
नीदरलैंड			0.35	0.0037				
नीदरलैंड एंटिल			0.01	0.0002				
पोलैंड			0.04	0.0003				
सिएरा लियोन							0.01	0.0001
स्पेन	0.04	0.0004						
सेन्ट लूसिया	0.01	0.0000						
सूरीनाम			0.01	0.0000				
संयुक्त अरब अमीरात			0.00	0.0000				
कुल	**64.78**	**0.7337**	**85.21**	**0.7217**	**76.57**	**0.6832**	**4.89**	**0.0434**

टिप्पणीः वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अध्ययधीन हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5048

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

संभार तंत्र लागत में कमी

5048. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संभार तंत्र लागत को वर्तमान के जीडीपी के 14 प्रतिशत से कम करके 2022 तक 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या क्षमता उपयोग का अधिकतम लाभ उठाने और लागत घटाने के लिए संभार तंत्र श्रृंखला में एक–दूसरे की मदद के लिए वर्तमान अवसंरचना का लाभ उठाने की अविलंब आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
(ग) क्या भारत का संभार तंत्र क्षेत्र बहुत ज्यादा डिफ्रेगमेंटिड है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
(घ) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आगतों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केंद्र सरकार का सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए किसी नई सड़क, रेलवे विमानपत्तन और पोत परिवहन बंदरगाह परियोजना पर विचार करते समय संभार तंत्र विभाग का परामर्श लेना अनिवार्य बनाने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी हां । इस लक्ष्य को रेल परिवहन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन और विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अनेक नीतिगत पहलों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(ख): जी हां । संभारतंत्र के लिए एक एकीकृत अभिगम प्राप्त करने के लिए, सरकार की विभिन्न संभारतंत्र पहलों का समन्वयन करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक अलग विभाग बनाया गया है।

(ग): जी हां । निर्बाध बहुविध परिवहन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास है।

(घ): जी हां । मंत्रालयों के इनपुटों पर विचार किया गया और उन्हें मसौदा राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति में शामिल किया गया है, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।

(ड.): परामर्श की प्रक्रिया विशेष रूप से तब वांछनीय है जब इसमें बहुविध एकीकरण शामिल हो।

(च): अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को मिलाकर विशेष सचिव (संभारतंत्र) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समूह बनाया गया है, ताकि सभी मंत्रालयों में परामर्श की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके ।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5038

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कॉफी का निर्यात

5038. श्री तेजस्वी सूर्याः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2008 से 2019 के मध्य कॉफी और इसके उत्पादों का कितना निर्यात किया गया है और इनके निर्यात से कुल कितनी धनराशि अर्जित हुई;
(ख) क्या 2016–2017 और 2017–2018 के मध्य कॉफी के निर्यात में गिरावट आई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और
(ग) वर्ष 2019–2020 में कॉफी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): वर्ष 2008-19 तक कॉफी एवं इसके उत्पादों के निर्यात की मात्रा एवं मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैं: -

वित्तीय वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु)
2007-08	218852	2044.71
2008-09	196762	2238.41
2009-10	196002	2070.68
2010-11	299778	3373.73
2011-12	333222	4678.90
2012-13	299288	4552.75
2013-14	299879	4650.30
2014-15	274999	4897.94
2015-16	310015	5056.28
2016-17	343933	5446.59
2017-18*	394559	6202.80
2018-19*	355250	5928.50

* जारी निर्यात परमिटों पर आधारित

स्रोत:- कॉफी बोर्ड

(ख) जी नहीं 2016 - 17 और 2017 - 18 के बीच कॉफी के निर्यात में कोई गिरावट नहीं हुई।

(ग) भारत सरकार, कॉफ़ी बोर्ड के माध्यम से कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी बाजारों में भारतीय कॉफी की विशिष्टता को दर्शाने वाली संवर्धनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना, परम्परागत बाजारों में उपस्थिति को मजबूत करना, भारतीय कॉफ़ी निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में प्रोत्साहनात्मक सहायता प्रदान करना और उच्च मूल्य तथा मूल्यवर्धित कॉफी के निर्यात के लिए प्रोत्साहन देना भी शामिल है। ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

(i) अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलनों / कॉफी केन्द्रित कार्यक्रमों में भागीदारी करना

(ii) क्रेता-विक्रेता बैठकें / कॉफी टेस्टिंग सत्र आयोजित करना

(iii) प्रचार अभियान / मीडिया प्रचार के माध्यम से भारतीय कॉफ़ी की ब्रांडिंग करना

(iv) जी आई (भौगोलिक संकेतक) पंजीकृत कॉफी, अर्थात बाबुबुदांगिरिस अरेबिका, चिकमगलगुरु अरेबिका, अरकू अरेबिका, कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, मानसून्ड मालाबार अरेबिका और मानसूनी मालाबार रोबस्टा का संवर्धन करना

(v) बेहतरीन कॉफ़ी का चयन करने और उन्हें निर्यात बाजार में लाने के लिए फ्लेवर ऑफ इंडिया - द फाइन कप अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन करना

(vi) भारतीय निर्यातकों को दूरस्थ गंतव्यों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और नॉर्वे को उच्च मूल्यवाली कॉफी के निर्यात के लिए 2 रूपए /कि.ग्रा. की दर से तथा भारतीय ब्रांड के रूप में खुदरा पैक में मूल्यवर्धित कॉफी के निर्यात के लिए 3 रूपए /कि.ग्रा. की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

*****